राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/07/06/2019-RW/KSP

श्रीमती रामवती देवी, महोबा, उत्तर प्रदेश के मामले के संबंध में दिनांक 04.01.2022 की सुनवाई का कार्यवृत

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारिगण:-

1. **श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग**
2. **श्री पीयूष कुमार, कार्यकारी अभियंता, ई.डी.डी प्रथम, महोबा, उत्तर प्रदेश**
3. **श्रीमती रामवती देवी, शिकायतकर्ता**

सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बिन्दु:-

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि इस जमीन का मालिक कौन है? जिसके जवाब में कार्यकारी अभियंता, ई.डी.डी प्रथम, महोबा द्वारा बताया गया कि यह जमीन श्रीमती रामवती देवी की है और जिनका इस जमीन पर कब्जा है उनको विद्युत कनेक्शन देने के लिये श्रीमती रामवती देवी द्वारा शपथ-पत्र भी दिया गया है। जिसके जवाब में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि यह शपथ-पत्र हमारे द्वारा नहीं दिया गया है।
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कार्यकारी अभियंता, ई.डी.डी प्रथम, महोबा से पूछा गया कि क्या आपने इस शपथ-पत्र की जांच करायी है जिसके जवाब में कार्यकारी अभियंता, ई.डी.डी प्रथम, महोबा द्वारा बताया गया कि हमने शपथ-पत्र की जांच नही करायी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया कि इस शपथ-पत्र की सत्यता की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करायी जाये और जिसके नाम पर जमीन है उनको विद्युत कनेक्शन दिया जाये।

उपरोक्त कार्यवाही कर माननीय आयोग को 15 दिन के अंदर अवगत कराये।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री पीयूष कुमार)
कार्यकारी अभियंता, ई.डी.डी प्रथम, महोबा, उत्तर प्रदेश

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग